



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124748

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 11282 वर्ष 2026

राहुल उर्फ भोला

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, गृह सचिव (गृह मंत्रालय) के माध्यम सेविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पुष्पेंद्र सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र सिंह और राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से विचारण के लंबित रहने के दौरान पुलिस थाना- स्याना, जिला- बुलंदशहर में पंजीकृत अपराध संख्या 0431 वर्ष 2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह 09.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। आगे यह निवेदन किया गया है कि गिरोह चार्ट में आवेदक के विरुद्ध दिखाए गए सभी पांच मामलों में वह जमानत पर है और उपरोक्त के अतिरिक्त, आवेदक 11 अन्य मामलों में भी जमानत पर है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबन के कारण, विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया है।
5. गिरोह चार्ट में आवेदक के विरुद्ध दिखाए गए सभी पांच मामलों में आवेदक जमानत पर है और उपरोक्त के अतिरिक्त, आवेदक 11 अन्य मामलों में भी जमानत पर है।
6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात तथा अधिनियम की धारा 19(4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. पूर्वोक्त अपराध में अंतर्गस्त आवेदक- राहुल उर्फ भोला को 50,000/- रुपये का वैयक्तिक बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) वाद खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनबंध दाखिल करेगा कि जब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत प्रार्थना पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुणागुण पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहकर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

जून 2, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।